

अधीक्षण अभियंता का कार्यालय

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, समस्तीपुर।

Email ID : se.rwdsamastipur@gmail.com

पत्रांक...1006...

समस्तीपुर / दिनांक 20/12/24

प्रेषक,

अधीक्षण अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, समस्तीपुर।

सेवा में,

सभी कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, समस्तीपुर के अन्तर्गत।

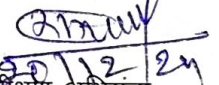
विषय:-

प्राक्कलन में संबंधित पथ का तकनीकी प्रतिवेदन संलग्न करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त वर्णित विषयांकित विषय के संबंध में कहना है कि सभी पथों का प्राक्कलन अर्थात् विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन के साथ एक तकनीकी प्रतिवेदन जिसमें पथ का विवरणी, अनुसूचित दर की विवरणी, आकस्मिक एवं आकस्मिकता का विवरणी स्पष्ट रूप से उल्लेखित करते हुए संलग्न करना अतिआवश्यक है। इसे प्राथमिकता के आधार पर डी0पी0आर0 में संलग्न कर समर्पित करने की कृपा की जाय, ताकि अग्रेत्तर कार्रवाई की सके।

विश्वासभाजन



अधीक्षण अभियंता,

ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, समस्तीपुर।

तकनीकी प्रतिवेदन

प्रस्तुत प्राक्कलन (DPR) जितवारपुर कुम्हारा पंचायत के NCML गोदाम से पंकज EVN तमूल पहलवान के घर होते हुए मध्य विद्यालय तांड़ा नौवाचक तक का तैयार किया गया है। यह पथ घनी आबादी के मध्य से गुजरती है, इसलिए इसमें 3.75 चौड़ा पूरी लम्बाई में PCC कार्य का प्रावधान किया गया है। जगह के अनुपलब्धता के कारण Side Drain का प्रावधान नहीं किया गया है।

पथ में प्रस्तुत सामग्री का दर नये अनुसूचित दर पर लिया गया है। SOP के कंडिका 5 के अनुसार आकस्मिक मद में मूल प्राक्कलित राशि का 15% (प्रतिशत) प्राक्कलित राशि में संकलित करते हुए प्रशासनिक फंड में 2.25% (प्रतिशत) का प्रावधान किया गया है। मूल प्राक्कलित राशि का DPR में 1% (प्रतिशत) Contingencies (आकस्मिकता) का प्रावधान किया गया है। सड़क के दोनों ओर बसावट होने के कारण जल-जमाव बना रहता है, जिसके कारण PQC का 125 mm का प्रावधान किया गया है।

कनीय अभियंता,

सहायक अभियंता,

कार्यपालक अभियंता,
कार्य प्रमण्डल,।